

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 16/2025—केंद्रीय कर

का.आ. 4206(अ).— केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का 7) की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा 1 अक्टूबर, 2025 को ऐसी तिथि के रूप में जिसको उक्त अधिनियम की धारा 121 के खंड (ii) और (iii), धारा 122 से धारा 124 और धारा 126 से धारा 134 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है।

[फा. सं. CBIC-20001/2/2025-GST]

रौशन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 16/2025—Central Tax

S.O. 4206(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 1 of the Finance Act, 2025 (7 of 2025), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 2025, as the date on which the provisions of clauses (ii) and (iii) of section 121, sections 122 to 124 and sections 126 to 134 of the said Act, shall come into force.

[F. No. CBIC-20001/2/2025-GST]

RAUSHAN KUMAR, Under Secy.